संख्या : सा0-3/896--बस/52(1)-74

प्रेषक,

श्री हर कृष्ण मेहरोत्रा,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन ।

सेवा में,

समस्त विभागाध्यक्ष एवं अन्य समस्त प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष,
उत्तर प्रदेश ।

लखनऊ, दिनांक 2 जून, 1975 ।

वित्त (सामान्य) अनुभाग-3

विषय:--पेंशन तथा डेथ-कम-रिटायरमेंट ग्रेच्युटी की अनुमन्य सीमाओं में वृद्धि ।

महोदय,

मुझे यह कहने का निदेश मिला है कि भारत सरकार ने सेंट्रल सिविल सर्विसेज (पेंशन) रूल्स, 1972 के नियम 49 तथा 50 से शासित अपने कर्मचारियों के सम्बन्ध में उनके द्वारा प्राप्त पेंशन तथा डेथ-कम-रिटायरमेंट ग्रेच्युटी की अधिकतम सीमा में वृद्धि कर दी है, और राज्य सरकार ने भी इसके औचित्य पर विचार करने के उपरांत ऐसा ही सिद्धांत अपने कर्मचारियों के संदर्भ में अंगीकार करने का निश्चय किया है, अतः श्री राज्यपाल ने सहर्ष निम्नलिखित आदेश करने की कृपा की है:--

(1) उत्तर प्रदेश रिटायरमेंट बेनिफिट्स रूल्स, 1961 के नियम 4 के अनुसार पेंशन अर्जित करने हेतु अधिकतम अर्ह सेवा 60 पूर्णीकृत छमाहियों से बढ़ाकर 66 पूरी छमाहियां कर दी जायेगी तथा उक्त नियम के अधीन अनुमन्य पेंशन तथा ग्रेच्युटी की धनराशि इस शासनादेश के संलग्नक-1 में वर्णित विवरणानुसार समुचित (appropriate) धनराशि होगी ।

(2) उत्तर प्रदेश रिटायरमेंट बेनिफिट्स रूल्स, 1961 के नियम 5 के उप नियम (1) में डेथ-कम-रिटायरमेंट ग्रेच्युटी के सम्बन्ध में निर्धारित 'परिलब्धियों का 15 गुना' की वर्तमान सीमा को बढ़ाकर 'परिलब्धियों का 16 1/2 गुना' कर दिया जायेगा ।

(3) उत्तर प्रदेश रिटायरमेंट बेनिफिट्स रूल्स, 1961 के नियम 5 के उप नियम (4) में उल्लिखित डेथ-कम-रिटायरमेंट ग्रेच्युटी की धनराशि सम्बन्धी अधिकतम सीमा रुपये 24,000.00 (चौबीस हजार रुपये मात्र) से बढ़ाकर रुपये 30,000.00 (तीस हजार रुपये मात्र) कर दी जायेगी तथा परिलब्धियों की वह उच्चतम सीमा जिसके आगे डेथ-कम-रिटायरमेंट ग्रेच्युटी के आगणन हेतु उन्हें उपेक्षित किया जायेगा, रुपये 1,800 (एक हजार आठ सौ रुपये मात्र) प्रतिमास से बढ़ाकर रुपये 2,500 (दो हजार पांच सौ रुपये मात्र) कर दी जायेगी ।

(4) न्यू फैमिली पेंशन स्कीम, 1965 के अधीन अनुमन्य पारिवारिक पेंशन (Family Pension) पाने के लिये ग्रेच्युटी से अभ्यर्पणीय दो मास की परिलब्धियों (emoluments) या वेतन, जैसी भी दशा हो, के बराबर धनराशि की अधिकतम सीमा रु0 3,600.00 (तीन हजार छः सौ रुपये मात्र) से बढ़ाकर रु0 5,000.00 (पांच हजार रुपये मात्र) कर दी जायेगी ।

2--इसी प्रकार उत्तर प्रदेश लिबरलाइज्ड पेंशन रूल्स, 1961 के नियम 3 के उप नियम (1) में डेथ-कम-रिटायरमेंट ग्रेच्युटी के सम्बन्ध में निर्धारित 'परिलब्धियों का 15 गुना की वर्तमान सीमा को बढ़ाकर' परिलब्धियों का 16 1/2 गुना कर दिया जायेगा तथा उसके उप नियम (3) में उक्त ग्रेच्युटी की धनराशि सम्बन्धी अधिकतम सीमा रुपये 24,000 (चौबीस हजार रुपये मात्र) से बढ़ाकर रु0 30,000.00 (तीस हजार रुपये मात्र) कर दी जायेगी ।

3--यह आदेश दिनांक 1 अप्रैल, 1975 से लागू होंगे, अर्थात् यह क्रमशः उपर्युक्त नियम, स्कीम से शासित होने वाले ऐसे सरकारी कर्मचारियों पर लागू होंगे जो दिनांक 1 अप्रैल, 1975 या उसके उपरांत किसी दिनांक से सेवा-निवृत्त हों यानी उक्त दिनांक संगत कर्मचारी का प्रथम-कार्य विलग दिवस (non-working day) हो या ऐसे दिनांक को उसकी कार्यरत अवस्था में रहते हुये मृत्यु हो जाय ।

4--सेवा-निवृत्ति सम्बन्धी नियमों में समय-समय पर किये गये संशोधनों तथा उनके संदर्भ में निष्पादित विकल्पों को ध्यान में रखते हुये राज्य के पेंशन-योग्य अधिष्ठानों के कर्मचारी सिद्धांत रूप से (notionally) निम्न नौ वर्गों में बांटे जा सकते है, अर्थात्--

(1) वे जिन पर न्यू फैमिली पेंशन स्कीम, 1965 के साथ पठित उत्तर प्रदेश रिटायरमेंट बेनिफिट्स रूल्स, 1961 (सम्यक्) के उपबन्ध लागू होते हों,

(2) वे जिन पर केवल उत्तर प्रदेश रिटायरमेंट बेनिफिट्स रूल्स, 1961 (सम्यक्) लागू होते हों, यानि उसके साथ न्यू फैमिली पेंशन स्कीम, 1965 लागू न हो,

(3) वे जिन पर न्यू फैमिली पेंशन स्कीम, 1965 के साथ पठित उत्तर प्रदेश रिटायरमेंट बेनिफिट्स रूल्स, 1961 के नियम 11 के उपबन्ध लागू हों,

(4) वे जिन पर केवल उत्तर प्रदेश रिटायरमेंट बेनिफिट्स रूल्स, 1961 का नियम 11 लागू हो, यानी उसके साथ न्यू फैमिली पेंशन स्कीम, 1965 लागू न हो,

(5) वे जिन पर न्यू फैमिली पेंशन स्कीम, 1965 के साथ पठित उत्तर प्रदेश लिबरलाइज्ड पेंशन रूल्स, 1965 लागू हों ;

(6) वे जिन पर केवल उत्तर प्रदेश लिबरलाइज्ड पेंशन रूल्स, 1961 लागू हो, यानी उसके साथ न्यू फैमिली पेंशन स्कीम, 1965 लागू न हो,

(7) वे जिन पर उत्तर प्रदेश कांट्रीब्यूटरी प्राविडेंट-पेंशन-इन्श्योरेंस फंड रूल्स, 1948 लागू हों,

(8) वे जिन पर विशुद्ध रूप से केवल सिविल सर्विस रेगुलेशन्स के उपबन्ध लागू होते हों, तथा

(9) विगत में पेंशन अयोग्य से पेंशन-योग्य बनाये गये अधिष्ठानों के वे कर्मचारी जो कांट्रीब्यूटरी प्राविडेंट फंड (यू०पी०) रूल्स के नियम 28(1)(ए) के अधीन निष्पादित विकल्पानुसार अभी तक अंशदायी भविष्य निधि के लाभ ही स्वीकार किये हुये चल रहे हों ।

उपर्युक्त में से पहले वर्ग के कर्मचारियों पर प्रस्तर 1 में वर्णित नवीन व्यवस्था स्वयमेव लागू हो जायेगी और उन्हें किसी प्रकार का विकल्पादिक नहीं करना होगा । शेष वर्गों के कर्मचारियों के लिये, यदि वे प्रस्तर-1 में वर्णित नवीन व्यवस्था को अस्वीकार करते हुये अपने ऊपर लागू वर्तमान नियमों से ही शासित होते रहना चाहते हों, तो संलग्नक–2 में दिये प्रपत्र में विलम्बतम दिनांक 31 दिसम्बर, 1975 तक विकल्प निष्पादित करके, अराजपत्रित कर्मचारियों की दशा में अपने विभागाध्यक्ष को तथा राजपत्रित कर्मचारियों की दशा में विभागाध्यक्ष तथा महालेखाकार, उत्तर प्रदेश, दोनों को, पहुंचा देना आवश्यक होगा, अन्यथा वे प्रस्तर–1 में वर्णित परिवर्तनों को सम्मिलित करते हुये न्यू फैमिली पेंशन स्कीम, 1965 के साथ पठित उत्तर प्रदेश रिटायरमेंट बेनिफिट्स रूल्स, 1961 (सम्यक्) से स्वतः शासित हो जायेंगे, जिसे फिर बदलना संभव न होगा इस शासनादेश के लागू होने के दिनांक तथा दिनांक 31 दिसम्बर, 1975 के बीच सेवा-निवृत्त होने वाले उपर्युक्त वर्ग (2) से (9) तक के ऐसे कर्मचारी जो इस शासनादेश द्वारा प्रवर्तित नई व्यवस्था ग्रहण करने के इच्छुक हों अपनी पेंशन की स्वीकृति के कार्य में विलम्ब रोकने के उद्देश्य से पत्र द्वारा अपने विभागाध्यक्ष तथा महालेखाकार को सूचित कर सकते है कि उनका कोई इरादा दिनांक 31 मार्च, 1975 को उनके मामले में विनियोज्य सेवा निवृत्ति सम्बन्धी नियमों से शासित होते रहने का नहीं है । ऐसी सूचना की प्राप्ति पर विभागाध्यक्ष/महालेखाकार द्वारा उनके पेंशन पत्रादि नई व्यवस्थानुसार तत्काल तैयार कर दिये जायेंगे ।

5—प्रस्तर-4 में उल्लिखित वर्गों में से वर्ग (2) से (9) तक के कर्मचारियों में से जो कर्मचारी दिनांक 1 अप्रैल, 1975 से इस शासनादेश की प्राप्ति के बीच सेवा-निवृत्त हो गये हों, उन्हें, तथा उनमें से जो मृत हो गये हों उनके परिवारों को, इन आदेशों से अवगत कराने का दायित्व विभागाध्यक्ष का होगा जिनका यह कर्तव्य होगा कि ऐसे सभी संगत व्यक्तियों को रजिस्टर्ड डाक द्वारा इन आदेशों के सम्बन्ध में सूचित करें ताकि वे भविष्य में इन आदेशों की नाजानकारी के तथ्य को किसी प्रतिकूल दावे का आधार न बना सकें । इनमें से सेवा-निवृत्त परन्तु जीवित कर्मचारी स्वयं संलग्नक–3 में दिये प्रपत्र में निर्धारित समयावधि के अन्दर (अर्थात् 31 दिसम्बर, 1975 तक) विकल्प निष्पादित करके समुचित प्राधिकारी/प्राधिकारियों, जैसी भी दशा हो, को प्रस्तुत करेंगे । मृत कर्मचारियों की दशा में उनके परिवार के समस्त सदस्यों द्वारा सम्मिलित रूप से (jointly) संलग्नक–4 में दिये प्रपत्र में निष्पादित विकल्प तथा बंधपत्र (bond) यदि मृत कर्मचारी सेवा के अंतिम काल में अराजपत्रित था तो केवल विभागाध्यक्ष को अन्यथा विभागाध्यक्ष तथा महालेखाकार, उत्तर प्रदेश, दोनों को, विलम्बतम दिनांक 31 दिसम्बर, 1975 तक प्रस्तुत कर देना आवश्यक होगा । ऐसा न किये जाने का परिणाम यह होगा कि सम्बन्धित कर्मचारी समस्त संगत उद्देश्यों हेतु इस शासनादेश के प्रस्तर-1 में उल्लिखित परिवर्तनों को शामिल करते हुये न्यू फैमिली पेंशन स्कीम, 1965 के साथ पठित उत्तर प्रदेश रिटायरमेंट बेनिफिट्स रूल्स, 1961 (सम्यक) से शासित समझे जायेंगे ।

6—उपर्युक्तानुसार विकल्प चयन के फलस्वरूप कुछ सरकारी कर्मचारी ऐसे पाये जायेंगे जो अभी तक "कान्ट्रीब्यूटरी प्राविडेंट फंड" या 'कान्ट्रीब्यूटरी प्राविडेंट पेंशन फंड" के अभिदाता रहे हैं परन्तु अब वे प्रस्तर-1 में वर्णित परिवर्तनों सहित न्यू फैमिली पेंशन स्कीम, 1965 के साथ पठित उत्तर प्रदेश रिटायरमेंट बेनिफिट्स रूल्स, 1961 (सम्यक्) के लाभों के अधिकारी हो जायेंगे । ऐसे समस्त कर्मचारियों के अंशदायी प्रकृति के भविष्य निधि खाते से वह सब धनराशि जो सरकारी अंशदान तथा उस पर संकलित ब्याज के रूप में जमा हो या जमा होने योग्य हो, शासन द्वारा तुरन्त अधिगृहीत कर ली जायेगी और सम्बन्धित कर्मचारी के अपने अभिदान की धनराशि मय संकलित ब्याज के उसके नाम एक नव सृजित "जनरल प्राविडेंट फंड' में संकलित कर दी जायगी बशर्ते कि उसकी सेवा-निवृत्ति दिनांक 31 मार्च, 1976 तक किसी समय 'ड्यू' न हो रही हो

जहां इस प्रकार के किसी कर्मचारी की सेवा-निवृत्ति दिनांक 31 मार्च, 1976 तक ही किसी समय 'ड्यू' हो रही हो वहां उसके अभिदान की धनराशि उसके वर्तमान अंशदायी प्रकृति वाले भविष्य निधि खाते से ही सीधे भुगतान की जा सकेगी ।

भवदीय,
हर कृष्ण मेहरोत्रा,
विशेष सचिव वित्त ।

संख्या सा0-3/896-दस---52(1)-74 तद्दिनांक

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु निम्नलिखित को प्रेषित:---

1---महालेखाकार, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद/कैम्प लखनऊ ।
2---श्री राज्यपाल के सचिव ।
3---शासन के समस्त सचिव ।
4---मुख्य मंत्री जी के सचिव ।
5---सचिव, विधान सभा ।
6---सचिव, विधान परिषद् ।
7---सचिवालय के समस्त अनुभाग ।

आज्ञा से,
शिवशंकर लाल भटनागर,
अनु सचिव ।